

## राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

1. अपील संख्या-1289 / 2016 / उदयपुर
2. अपील संख्या-1290 / 2016 / उदयपुर
3. अपील संख्या-1291 / 2016 / उदयपुर

मैसर्स रामप्रताप डवलपर्स प्रा. लि.  
उदयपुर।

.....व्यवहारी.

**बनाम**

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी  
घट-द्वितीय वृत्त-अ, उदयपुर।

.....राजस्व.

4. अपील संख्या-1588 / 2016 / उदयपुर
5. अपील संख्या-1589 / 2016 / उदयपुर
6. अपील संख्या-1590 / 2016 / उदयपुर

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी  
घट-द्वितीय वृत्त-अ, उदयपुर।

.....राजस्व.

**बनाम**

मैसर्स रामप्रताप डवलपर्स प्रा. लि.  
उदयपुर।

.....व्यवहारी.

एकलपीठ

राजीव चौधरी, सदस्य

उपस्थित : :

श्री राकेश मेहता  
अभिभाषक।

.....व्यवहारी की ओर से.

श्री अनिल पोखरणा  
उपराजकीय अभिभाषक

.....राजस्व की ओर से.

दिनांक : 27.06.2018

निर्णय

1. उपर्युक्त अपीलों में से प्रथम तीन अपीलें व्यवहारी द्वारा व द्वितीय तीन अपीलों विभाग द्वारा अतिरिक्त आयुक्त (अपीलीय प्राधिकारी), वाणिज्यिक कर विभाग, उदयपुर (जिसे आगे "अपीलीय अधिकारी" कहा जायेगा) द्वारा पारित अपीलीय आदेश दिनांक 01.03.2016 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी हैं, जिसमें सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, घट-द्वितीय वृत्त अ, उदयपुर (जिसे आगे "कर निर्धारण अधिकारी" कहा जायेगा) द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे "अधिनियम" कहा जायेगा) की धारा 25, 55 व 61 के अन्तर्गत पारित आदेशों के जरिये कायम की गयी मांग राशिया में से कर व ब्याज को यथावत रखे जाने पर व्यवहारी द्वारा शास्ति को अपास्त किये जाने को विभाग द्वारा विवादित किया है। सृजित मांग का विवरण निम्न तालिका अनुसार है :-


अपील सं.	अपी.अधि. की अपी. सं.	अपीलीय अधिकारी के आदेश दिनांक	कर निर्धा. आदेश दिनांक व वर्ष	कर निर्धा. अधिकारी दिनांक	कर	ब्याज	शास्ति
1289 / 2016	209/Vat/14-15	01.03.2016	2011-12	12.12.2014	88827	37307	-
1290 / 2016	210/Vat/14-15	01.03.2016	2012-13	12.12.2014	188248	56474	-
1291 / 2016	211/Vat/14-15	01.03.2016	2013-14	12.12.2014	171284	30829	-
1589 / 2016	209/Vat/14-15	01.03.2016	2011-12	12.12.2014	-	-	177655
1589 / 2016	210/Vat/14-15	01.03.2016	2012-13	12.12.2014	-	-	376496
1589 / 2016	211/Vat/14-15	01.03.2016	2013-14	12.12.2014	-	-	342570

लगातार.....2.

*(Handwritten Signature)*


2. इन प्रकरणों के तथ्य एवं विवादित बिन्दु समान होने के कारण इनको एक ही आदेश से निर्णित किया जा रहा है, निर्णय की एक-एक प्रति प्रत्येक पत्रावली पर पृथक-पृथक रखी जा रही है।
3. प्रकरणों के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा दिनांक 06.05.2014 को अपीलार्थी फर्म का सर्वेक्षण किया गया। सर्वेक्षण में पाया गया कि फर्म एक होटल व्यवसाय से संबंधित व्यापार करती है। व्यवहारी द्वारा होटल व्यवसाय के अन्तर्गत कर निर्धारण वर्ष 2011-12, 2012-13, 2013-14 में Food & Beverage की Sale किया जाना पाया गया। व्यवहारी फर्म द्वारा Food & Beverage की sales पर धारा 4 of Rvat Act के अनुसार कर अदा करना पाया गया। व्यवहारी फर्म के प्रश्नगत कर निर्धारण वर्षों के Food & Beverage के बिक्री बिलों का अवलोकन करने पर सर्वेक्षण अधिकारी द्वारा यह तथ्य पाया गया कि व्यवहारी फर्म बिक्री बिलों पर Goods Value के अतिरिक्त ग्राहकों से सर्विस टैक्स भी चार्ज किया गया। किन्तु इस प्रकार चार्ज किए गए सर्विस टैक्स को Sales Price का भाग नहीं बनाकर Taxable Turnover में सम्मिलित नहीं किया गया। अतः कर निर्धारण अधिकारी ने अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा Food & Beverage के मूल्य के अतिरिक्त वसूल किये गये सर्विस टैक्स को विक्रय मूल्य का भाग मानते हुए कर निर्धारण आदेशों दिनांक 12.12.2014 में कर व ब्याज का आरोपण किया गया तथा अधिनियम की धारा 61 के तहत शास्ति का आरोपण किया गया। जिसके विरुद्ध अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत अपीलों में अपीलीय अधिकारी ने आदेश दिनांक 01.03.2016 द्वारा कर व ब्याज को यथावत करते हुए आरोपित शास्ति को अपास्त कर दिया गया। अपीलीय अधिकारी के आदेश दिनांक 01.03.2016 से व्यथित होकर कर व ब्याज के बिन्दु पर अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा व शास्ति को अपास्त करने के बिन्दु पर राजस्व/विभाग द्वारा उपरोक्त अपीलों अधिनियम की धारा 83 के तहत प्रस्तुत की गयी हैं।
4. उभयपक्षों की बहस सुनी गई।
5. अपीलार्थी की ओर से विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि एक होटल व्यवसाय से संबंधित व्यापार में संलग्न है। अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा Food & Beverage के बिक्री पर बिलों में Goods Value के अतिरिक्त ग्राहकों से चार्ज किया गया सर्विस टैक्स धारा 2(36) के तहत विक्रय मूल्य का भाग नहीं है क्योंकि सेवाकर सेवा पर लगता है जबकि वेट माल के मूल्य पर आरोपित किया जाता है। इसलिये सेवाकर पर वेट देय नहीं है। अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक का यह तर्क भी रहा है कि सेवाकर केन्द्र का विषय है जबकि वेट राज्य का विषय है। अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा सेवाकर वसूल कर नियमानुसार जमा करवाया जा रहा है। इस प्रकार कर निर्धारण अधिकारी ने व्यवहारी द्वारा चार्ज किए गए सर्विस टैक्स को Sales Price का भाग मानकर

लगातार.....3.




Taxable Turnover में सम्मिलित कर, कर व ब्याज का आरोपण करने में विधिक एवं तथ्यात्मक त्रुटिकारित की गयी है। जिसकी अपीलीय अधिकारी द्वारा पुष्टि किया जाना विधिसम्मत नहीं है। अपीलार्थी व्यवहारी के विद्वान अभिभाषक द्वारा अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेशों को कर व ब्याज की पुष्टि की सीमा तक अपास्त करते हुए प्रस्तुत अपीलों को स्वीकार करने का निवेदन किया।

6. राजस्व/विभाग के उप राजकीय अभिभाषक द्वारा यह कथन किया गया कि व्यवहारी फर्म के प्रश्नगत कर निर्धारण वर्षों के Food & Beverage के बिक्री बिलों में Goods Value के अतिरिक्त ग्राहकों से सर्विस टैक्स भी चार्ज किया गया। अधिनियम की धारा 2(36) के अनुसार माल के विक्रय के समय व उसके परिदान से पूर्व माल के मूल्य के अतिरिक्त यदि कोई **statutory levy** या अन्य किसी प्रकार का प्रभार्य ग्राहक से वसूला जाता है वह विक्रय मूल्य का भाग है तथा इस विक्रय मूल्य का वेट आरोपणीय है। वर्तमान प्रकरणों में व्यवहारी द्वारा Food & Beverage के मूल्य के अतिरिक्त वसूला गया सर्विस टैक्स को Sales Price का भाग नहीं बनाकर Taxable Turnover में सम्मिलित नहीं कर, कर की अपवंचना की गयी है। अतः कर निर्धारण अधिकारी द्वारा ब्याज व शास्ति का आरोपण विधिनुसार किया गया है तथा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने पर अपीलीय अधिकारी द्वारा कर व ब्याज जो यथावत रखा गया परन्तु शास्ति को अपास्त करने में विधिक एवं तथ्यात्मक त्रुटिकारित की गयी। इस प्रकार राजस्व के विद्वान उपराजकीय अभिभाषक द्वारा व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत अपीलों को अस्वीकार किये जाने तथा राजस्व द्वारा शास्ति के बिन्दु पर प्रस्तुत अपीलों को स्वीकार किये जाने का निवेदन किया गया।
7. अपीलार्थी व्यवहारी के विद्वान अभिभाषक का शास्ति को अपास्त किये जाने के विरुद्ध राजस्व/विभाग द्वारा प्रस्तुत अपीलों के संबन्ध में यह तर्क रहा है कि अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा समस्त विक्रय व जमा खर्च नियमित रूप से लेखा पुस्तकों में संधारित किया गया है तथा किसी भी प्रकार का संव्यवहार छिपाया न जाकर समस्त दायित्वों का निर्वाहन किया जा रहा है। सर्वेक्षण में कोई संव्यवहार लेखा पुस्तकों में बिना जमा खर्च का नहीं पाया गया तथा मत भिन्नता मामला दोषी मनोभाव की श्रेणी में नहीं आता है। व्यवहारी के विद्वान अभिभाषक द्वारा आगे कथन किया गया कि व्यवहारी के समस्त संव्यवहार बहीयात में दर्ज थे तथा कर निर्धारण अधिकारी द्वारा इन्हें मिथ्या साबित नहीं किया गया है। अतः अपीलीय अधिकारी का आरोपित शास्ति को अपास्त करने का आदेश विधि अनुसार है। अपने उक्त कथनों के साथ विद्वान अभिभाषक व्यवहारी द्वारा कर व ब्याज के बिन्दु पर अपीलाधीन आदेश दिनांक 01.03.2016 को अपास्त कर व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत अपीलों को स्वीकार करने एवं शास्ति आदेश को यथावत रखने का कथन करते हुए राजस्व द्वारा प्रस्तुत अपील को अस्वीकार किये जाने का निवेदन किया गया।



लगातार.....4.


8. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया तथा रिकॉर्ड का परिशीलन किया गया।
9. अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत अपील संख्या 1289/2016 लगायत 1291/2016/उदयपुर में विवादित प्रश्न यह है कि "क्या Food & Beverage के बिक्री के समय व उसके परिदान से पूर्व इनके मूल्य के अतिरिक्त वसूला गया सर्विस टैक्स विक्रय मूल्य (Sales Price) का भाग है?"
10. वर्तमान प्रकरणों में विवादित प्रश्न के समान राजस्थान कर बोर्ड की वृहदपीठ के प्रकरण अपील संख्या 17/2016 से 20/2016/सिरोही तथा 613/2016 से 616/2016/सिरोही निर्णय दिनांक 08.06.2018 होटल हिल्लोक प्रा. लि. बनाम सहायक आयुक्त में यह प्रश्न विचारणीय था कि "Whether the service tax on the supply of food and drinks will be the part of the sale price or not and consequently the VAT will be be leviable on the Value of the food excluding the service tax." जिस पर वृहदपीठ द्वारा अभिमत निम्न उत्तर द्वारा दिया गया कि "the service tax as charged for supply of food and beverages shall constitute a part of the sale price and the Value Added Tax (Vat) is leviable on the value of the food and beverages including the service tax."
11. इस प्रकार राजस्थान कर बोर्ड की माननीय वृहदपीठ द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है कि Food & Beverage के बिक्री के समय व उसके परिदान से पूर्व इनके मूल्य के अतिरिक्त वसूला गया सर्विस टैक्स विक्रय मूल्य (Sales Price) का भाग है तथा वेट Food & Beverage के मूल्य व सर्विस टैक्स पर अदा किया जायेगा। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा Food & Beverage के मूल्य के साथ उस पर चार्ज किये गये सर्विस टैक्स को विक्रय मूल्य का भाग मानकर कर व ब्याज का आरोपण करने में कोई त्रुटि कारित नहीं की गयी है तथा उक्त कर व ब्याज की अपीलीय अधिकारी द्वारा पुष्टि किया जाना विधिसम्मत है। अतः अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत अपीलें अस्वीकार किये जाने योग्य है।
12. शास्ति अपास्त किये जाने के विरुद्ध राजस्व द्वारा प्रस्तुत अपील संख्या क्रमशः 2645/2016/जयपुर लगायत 2650/2016/जयपुर के संबंध में यह उल्लेखनीय है कि अपीलीय अधिकारी द्वारा यह स्पष्ट विवेचन किया गया है कि अपीलार्थी व्यवहारी के बिक्री के समस्त संव्यवहार लेखा पुस्तकों में दर्ज है। बहस के दौरान विद्वान अभिभाषक द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि सर्विस टैक्स को वेट के दायित्व से मुक्त मानकर कर का भुगतान नहीं किया गया। इस संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत (2009) 23 वीएसटी 249 श्री कृष्णा इलेक्ट्रीकल्स बनाम स्टेट ऑफ तमिलनाडू टैक्स अपडेट वोल्यूम 43 पार्ट 4 पेज 158 में प्रतिपादित सिद्धान्त का उल्लेख किया जाना समीचीन है जो निम्न प्रकार है:-



लगातार.....5.

"So far as the question of penalty is concerned the items which were not included in the turnover were found incorporated in the appellant's account books, where certain items which are not included in the turnover are disclosed in the dealer's own account books and the assessing authorities includes these items in the dealers' turnovers disallowing the exemption penalty cannot be imposed. The penalty levied stands set aside."

13. इस प्रकार जब व्यवहारी के बिक्री के समस्त संव्यवहार लेखा पुस्तिकाओं में दर्ज है तथा व्यवहारी द्वारा प्रविष्टियां छिपायी नहीं गयी है एवं व्यवहारी का दोष अन्यथा सिद्ध नहीं किया गया है। अतः ऐसी स्थिति में अपीलीय अधिकारी द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय श्रीकृष्णा इलेक्ट्रिकल बनाम अन्य (2009) 23 वीएसटी पेज 249, राजस्थान कर बोर्ड की खण्डपीठ द्वारा मैसर्स ह्यूलेट-पैकर्ड इंडिया सेल्स प्रा. लि. सी-185 सिंगल एरोमेटिक्स वीकेआई एरिया, जयपुर बनाम वाणिज्यिक कर अधिकारी प्रतिकरापवंचन जोन-द्वितीय, जयपुर तथा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने मैसर्स लार्ड वैकटेश्वर केटरर्स बनाम वाणिज्यिक कर अधिकारी प्रतिकरापवंचन संभाग-प्रथम, जयपुर 19 टीयूडी 85 के आलोक में आरोपित शास्ति को अपास्त करने में कोई विधिक त्रुटि कारित नहीं की गयी है। इस प्रकार शास्ति के बिन्दु पर अपीलीय अधिकारी का निर्णय दिनांक 01.03.2016 की पुष्टि की जाती है। राजस्व/विभाग द्वारा प्रस्तुत उक्त अपीलें अस्वीकार किये जाने योग्य है।
14. उपरोक्त समस्त विवेचनानुसार अपीलीय अधिकारी का अपीलाधीन आदेश दिनांक 01.03.2016 पुष्ट किये जाने योग्य है।
15. परिणामस्वरूप अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत अपील संख्या 1289/2016 लगायत 1291/2016/उदयपुर तथा राजस्व/विभाग द्वारा प्रस्तुत अपील संख्या 1588/2016 लगायत 1590/2016/उदयपुर अस्वीकार की जाती है तथा अपीलीय अधिकारी के निर्णय दिनांक 01.03.2016 की पुष्टि की जाती है।
16. निर्णय सुनाया गया। निर्णय की प्रति समस्त पत्रावलियों पर पृथक-पृथक रखी जाये।

  
(राजीव चौधरी)  
सदस्य